छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
----000----
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 MAR 2023

क्रमांक एफ 20-41/2022/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास के समानांतर वाणिज्यिक विकास हेतु लोकहित में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.7 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में **"छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022"** लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होगी। इस नीति को औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक-15.1 की तालिका में अनुक्रमांक 27 तथा परिशिष्ट क्रमांक 6.27 पर समावेशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-41/2022/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक , 2023

प्रतिलिपि :-

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, ...विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
4. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
5. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

हस्ता.
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
----000----
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक .., 2023

क्रमांक एफ 20-41/2022/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास के समानांतर वाणिज्यिक विकास हेतु लोकहित में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.7 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में **"छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022"** लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होगी। इस नीति को औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक-15.1 की तालिका में अनुक्रमांक 27 तथा परिशिष्ट क्रमांक 6.27 पर समावेशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता.
(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-41/2022/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 MAR 2023

प्रतिलिपि :-

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, ...विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
4. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
5. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

औद्योगिक नीति 2019-24

(के अंतर्गत)

"छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति–2022"

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विषय सूची

क्रमांक	अध्याय / विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रस्तावना	3
2.	नीति की कार्यावधि	3
3.	उददेश्य	4
4.	रणनीति	4
5.	परिभाषाएं	5
6.	पात्रता की शर्तें	8
7.	लॉजिस्टिक हब / वेयर हाउसिंग (गोदाम) के मापदण्ड	8
8.	दायित्व	9
9.	वित्तीय अनुदान /छूट / रियायतें	9
10.	गैर वित्तीय अनुदान	11
11.	सामान्य अनुदेश	12
12.	अंतिम निर्णय संबंधी निर्देश	12

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति–2022

1. प्रस्तावना (Preface)–

राज्य गठन के पश्चात् से पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर औद्योगिक नीतियों (औद्योगिक नीति 2001–06, 2004–09, 2009–14, 2014–19, 2019–24) कृषकों की आय को दुगुनी करने हेतु कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19, आटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17, सोलर पॉलिसी, तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2012–19 के नियोजित समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन से राज्य ने देश के औद्योगिक मानचित्र में, अपना प्रमुख स्थान बनाया है। राज्य के नैसर्गिक संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन हो रहा है इससे न केवल राज्य में पूंजी निवेश में तीव्रता से वृद्धि हुई है अपितु रोजगार के अवसरों में/संसाधनों में वृद्धि हुई है।

राज्य में रेल लाईन के विकास योजनाएँ ईस्ट कॉरीडोर, ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर, दल्लीराजहरा रावघाट रेल लाईन, रावघाट–जगदलपुर, चिरमिरी–नागपुर रोड हॉल्ट रेल लिंक परियोजना का तीव्रता से क्रियान्वयन पर आगामी वर्षो में 1300 किलोमीटर नई रेल्वे लाईनों का विकास कार्य प्रगति पर है।

राज्य के औद्योगिक विकास के समानान्तर वाणिज्यिक विकास भी आवश्यक है। राज्य में आदर्श मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता, श्रम शांति, निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्थापना लागत में कमी, राज्य की भौगोलिक स्थिति केन्द्रीयकृत स्थिति में होना, संवेदनशील प्रशासन, खनिज बाहुल्य प्रदेश होने से निर्माण लागत में कमी, आदि ऐसे बिन्दु हैं जिससे राज्य में वाणिज्यिक विकास की काफी संभावनाएँ हैं। वाणिज्यिक विकास से निर्यात की संभावनाओं में वृद्धि होती है।

राज्य की उपरोक्तानुसार उपलब्ध शक्तियों, नियोजित ढंग से हो रहे औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्यिक विकास को एक नया आयाम देने के लिए एक पृथक लॉजिस्टिक नीति अतिआवश्यक है ताकि राज्य को औद्योगिक विकास के साथ–साथ समग्र रूप से वाणिज्यिक विकास को भी तीव्र गति दी जा सकें।

राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का उपयोगितापूर्ण समुचित दोहन, सुदूर अंचलो में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भण्डारण को प्रोत्साहित करना। राज्य का सर्वांगीण आर्थिक विकास प्रदुषण रहित उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, पर्यावरण की सुरक्षा, जेम्स एण्ड ज्वेलरी उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु लॉजिस्टिक नीति 01 नवंबर, 2019 से प्रभावी की गयी है।

2. नीति की कार्यावधि–

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति की कार्यावधि 05 वर्ष होगी व यह अवधि 01 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक समाप्त होगी।

3. उददेश्य (Objectives) –

3.1 राज्य को लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।

3.2 विद्यमान उद्योगों, व्यापारियों, किसानों और बड़ी संख्या में कृषकों को सस्ती भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराकर लाभ पहुंचाना।

3.3 लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत कियाविधि से निर्माण कर राज्य से निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन ।

3.4 राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन एवं वितरण।

3.5 राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पादों के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार करना।

3.6 अधिक से अधिक घरेलु एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना ।

3.7 राज्य के युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना।

3.8 देश एवं विदेशों के प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहों को राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।

3.9 राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलता से दोहन।

4. रणनीति (Strategy) –

4.1 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रकिया, नियमन एवं डिजीटल विकास से संबंधित सुधारों की निगरानी हेतु गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के तर्ज पर सेवा सुधार समूह (Service Improvement Group) की स्थापना किया जावेगा। सेवा सुधार समूह में अन्य संबंधित विभाग यथा आवास एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि के सदस्य शामिल होंगे।

4.2 लॉजिस्टिक अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण–मल्टीमोडल लॉजिस्टिक, ड्रायपोर्ट, एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना।

4.3 परिवहन अधोसंरचना का विकास – दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में वस्तुओं की आपूर्ति, रेल अधोसंरचना का विकास के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नई रेल नेटवर्कों का विकास सुनिश्चित किया जावेगा।

4.4 लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा में शामिल करने हेतु राज्य के चयनित विश्वविद्यालयों के साथ पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु समन्वय स्थापित किया जावेगा।

4.5 लॉजिस्टिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु लॉजिस्टिक के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट सेंटर तथा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किये जाने वाले उद्यमों के साथ एम. ओ.यू. किया जावेगा।

4.6 स्थानीय युवाओं का कौशल विकास – राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन के रोजगार परख उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के साथ राज्य के लॉजिस्टिक्स की आवश्यकतानुसार श्रम बल उपलब्ध कराने हेतु पाठ्यक्रमों हेतु समन्वय सुनिश्चित किया जावेगा।

4.7 वाणिज्यिक लागत कम करने हेतु लॉजिस्टिक हब एवं वेयरहाउसिंग में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित किया जावेगा।

4.8 साइलोस के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

5. परिभाषाएं (Definations) –

1. **"नियत दिनांक"** से आशय है – लॉजिस्टिक नीति 2022 के प्रभावी होने का दिनांक अर्थात् 01 नवंबर, 2019।

2. **लॉजिस्टिक्स** – लॉजिस्टिक्स का आशय उत्पादन और उपभोग बिन्दुओं के बीच माल के परिवहन, हैण्डलिंग, भण्डारण, मूल्य संवर्धन एवं अन्य सम्बध्द सेवाओं से है।

   लॉजिस्टिक्स के अनिवार्य घटक अंतर्गत सामान एवं वस्तुओं के परिवहन की व्यवस्था, वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज द्वारा भण्डारण, लिफ्टिंग, मटेरियल हैण्डलिंग, वेब्रिज, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग तथा वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था शामिल है।

3. **वेयरहाउस (गोदाम)** – वेयरहाउस (गोदाम) से आशय राज्य की कृषि व वन्य सम्पदा के सुरक्षित संग्रहण, राज्य एवं राज्य के बाहर की व्यावसायिक सामग्रियां यथा आटोमोबाईल्स, मेडीसिन, केमिकल्स, टेक्सटाईल्स, फर्नीचर, गैस, आयल एवं विदेश व्यापार प्रक्षेत्र में निर्मित सामग्री हेतु स्वतंत्र वेयर हाउस/गोदाम। इस शीर्ष में शो–रूम सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

4. **लॉजिस्टिक हब** – लॉजिस्टिक हब से आशय है वेयर हाउसिंग/गोदाम के साथ साथ रेल/वायु/सड़क परिवहन से संबंधित विकसित की गई नई अधोसंरचना को सम्मिलित करते हुए निर्मित लॉजिस्टिक हब।

5. **कोल्ड स्टोरेज** – कोल्डस्टोरेज से आशय ऐसे सामान तथा वस्तुओं के संग्रहण से हैं जिन्हे प्रशीतन की आश्यकता होती है इस हेतु प्रशीतन मशीनों का प्रयोग किया जाता हो। प्रशीतन के अलावा इकाई रेफ्रिजरेटेड रीफर वाहन सेवा का प्रयोग कर सकती है।

6. **"नवीन उद्यम"** से आशय – ऐसे उद्यम से है जिसके द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2019 या उसके पश्चात् व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा

जारी वैध वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक 01 नवंबर, 2019 को अथवा उसके पश्चात् तथा 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व की तिथि वर्णित हो। साथ ही निम्नांकित शर्तों में से हुई एक की पूर्ति अनिवार्यतः की गई है :–

नवीन उद्यम की पात्रता हेतु निम्नांकित शर्तो की पूर्ति आवश्यक है:–

(1) एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों में भूमि उद्यम के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में भूमि औद्योगिक इकाई/कंपनी के नाम से होना अनिवार्य है।

(2) **शेड–भवन** – कंडिका 1 की भूमि पर नवीन शेड एवं भवन निर्माण किया गया हो।

7. विद्यमान उद्यम के परिसर में **औद्योगिक नीति 2019–24** के प्रभावी होने के पश्चात नवीन उद्यम प्रस्तावित किया जावे एवं इस आशय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारण करते हुए नवीन उद्यम के रूप में स्थापित किया जाकर इस नीति की अवधि में उत्पादन में आए तथा इस आशय का नियमानुसार जारी वैध प्रमाण पत्र भी धारण करता हो। साथ यह भी आवश्यक है कि वह स्पष्ट रूप पृथक इकाई के रूप में अस्तित्व रखता हो, तथा इसे नवीन उद्यम की श्रेणी में मान्य किये जाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूर्ण करता हो : –

(1) नियत दिनांक के पश्चात् नवीन इकाई के नाम से जारी उद्यम आकांक्षा, आई.ई.एम. आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो, एवं उद्यम आकांक्षा, आई.ई.एम., एवं औद्योगिक लायसेंस वैध हो ।

(2) नवीन उद्यम के नाम से पृथक विद्युत कनेक्शन हो।

(3) उपरोक्त भूमि पर नवीन शेड–भवन निर्मित हो।

(4) नवीन निर्मित शेड–भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

(5) नवीन इकाई के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(6) विद्यमान परिसर में स्थापित पूर्व से विद्यमान उद्योग को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित किसी अनुबंध/अधिसूचना का उल्लंघन न होता हो,

8. "**महिला उद्यमी**" से आशय – राज्य की मूल निवासी ऐसी महिला से है, जिसने उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदारी, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं हों एवं उनके उद्योग में

प्रबंधकीय, कुशल एवं अकुशल श्रेणी में नियोजित कुल रोजगार का न्यूनतम कुल 50 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हो।

9. **"दिव्यांग/निःशक्त"** से आशय – उस व्यक्ति से है जो भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत आता हो एवं इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारी हो।

10. **"सेवानिवृत्त सैनिक"** से आशय है – जो भारत सरकार के अर्द्धसैनिक बलों/सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं इस आशय का संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय से प्रमाण–पत्र धारित हो। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।

11. **"नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति"** से आशय – राज्य के ऐसे मूल निवासी से है जो राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों में विकलांग/दिवंगत हुए व्यक्ति अथवा उसके परिवार का सदस्य हो जिसमें संबंधित के माता–पिता, पुत्र–पुत्री अथवा पति–पत्नि हो एवं इस संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारी हो ।

12. **"महिला स्व सहायता समूह"** से आशय है राज्य में पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह।

13. **स्थायी पूंजी निवेश से आशय है** – स्वतंत्र वेयरहाउसिंग (गोदाम), लॉजिस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि, भूमि विकास, शेड भवन निर्माण, प्लाण्ट एवं मशीनरी की स्थापना, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं बाउण्ड्रीवाल, वेब्रिज, कैंटिन, श्रमिक विश्राम कक्ष, सिक्युरिटी पोस्ट, आंतरिक रोड, हैण्डलिंग हेतु प्रयुक्त उपकरण (क्रेन), परीक्षण उपकरण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग हेतु निर्मित अधोसंरचना पर किया गया निवेश मान्य होंगे।

14. **"सावधि ऋण"** – सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4(ए) के अंतर्गत घोषित लोकहित वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत गठित वित्त निगम, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एवं अन्य वित्त संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋण (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) ।

15. **"अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक एवं प्रबंधकीय पद"** – के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषा ही मान्य होगी।

16. **"राज्य के मूल निवासी"** – के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषा में परिभाषित अनुसार तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारी हो ।

17 **"स्थायी रोजगार"** – उत्पादन प्रमाण–पत्र धारी स्थापित उद्योग में अकुशल/कुशल /प्रबंधन श्रेणी के कार्मिकों को उनकी सेवाओं हेतु उद्योग द्वारा सीधे दिये जाने वाले वेतन/पारिश्रमिक को स्थायी रोजगार में माना जावेगा। ठेकेदारों के कराए गए रोजगार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

18 **"अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी"** से आशय – ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में तय परिभाषा के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं उक्त वर्ग में अधिसूचित बाबत् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र धारी हो ।

19 **"अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग"** से आशय – ऐसे उद्योगों से है जो राज्य के "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी" द्वारा स्थापित किए गए हो अथवा प्रस्तावित हों। भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की स्थिति में सभी अंशधारक तथा सहकारी संस्था अथवा सोसायटी अधिनियम के तहत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के हो। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो एवं वैध उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारक हों एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण धारण करता हो।

20 **"वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र"** :–

(1) सेवा क्षेत्र की इकाई/उद्यम को भी सेवा गतिविधि आरंभ करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(2) एक उद्यम को एक ही उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तद्नुसार पूंजी निवेश रोजगार सेवा के नाम एवं उनकी वार्षिक क्षमता संबंधी प्रविष्टियां उत्पादन प्रमाण में दर्ज की जाएगी।

21 इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा के निर्धारण के लिए औद्योगिक दृष्टि से विकासखण्डों का श्रेणी विभाजन औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुरूप होगा।

टीप–(1) उपर्युक्त परिभाषाओं के संबंध में विवाद की स्थिति में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(2) इस नीति के नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले सभी लॉजिस्टिक/कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस को केवल इस नीति के अंतर्गत ही घोषित अनुदान/छूट/रियायतों की पात्रता होगी न कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत।

6. पात्रता की शर्तें –

राज्य में लॉजिस्टिक/वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, स्व–सहायता समूह तथा कृषक उत्पादक संगठन द्वारा की जा सकेगी व इसके लिए आवश्यक होगा कि :–

1. वेयर हाउस हेतु न्यूनतम 25 लाख रूपये तथा कोल्ड स्टोरेज हेतु न्यूनतम 50 लाख रूपये स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो।
2. लॉजिस्टिक/वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना उद्यम आकांक्षा प्राप्त करने के दिनांक से 03 वर्ष के भीतर स्थापित की जाये। यह अवधि कार्य निष्पादन के गुण–दोष के आधार पर संचालक उद्योग द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
3. लॉजिस्टिक/वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज के विकास हेतु राज्य के स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की शर्तों का पालन करना होगा। जो कि अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत है।
4. लॉजिस्टिक/वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु अभिन्यास पर नियमानुसार पर्यावरणीय सम्मति, स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा व उनके मापदण्डों का पालन करना होगा।
5. लॉजिस्टिक/वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज का लाभ लेने वाले प्रकरणों में राज्य शासन अथवा भारत शासन की अन्य नीतियों/नियमों में समान प्रकृति के अनुदान/छूट की मात्रा में भिन्नता होने पर ही आवेदक अंतर की अनुदान मात्रा हेतु पात्र होगा।
6. विहित प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा आदेशित किसी भी अधिकारी द्वारा समय–समय पर कार्य की प्रगति का निरीक्षण अथवा रिपोर्ट प्राप्त की जा सकेगी।
7. इस नीति के अंतर्गत दिये जाने वाले सभी अनुदानों/छूट/रियायतों हेतु उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
8. लॉजिस्टिक/कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस जिस भूमि पर स्थापित होगें उनका प्रयोजन व्यावसायिक/औद्योगिक/सार्वजनिक तथा कृषि होगा।

7. लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउस (गोदाम) के मापदण्ड –

7.1–वेयर हाउसिंग (गोदाम) की संग्रहण क्षमता न्यूनतम 500 मे. टन होना चाहिए।

7.2–निर्मित भवन पशु–पक्षियों से सुरक्षित, हवादार (जाली साहित), वाटरप्रूफ होना चाहिए।

7.3–वेयर हाउसिंग (गोदाम) के दरवाजे/खिड़कियां इस प्रकार निर्मित हो कि निर्मित भवन में वर्षा व धूप से सुरक्षा हो सके।

7.4–परिसर में प्रचलित नियमानुसार आवश्यक वैध एवं कार्यरत् अग्नि शमन उपकरण होने चाहिए।

7.5–वेयर हाउसिंग (गोदाम)/लॉजिस्टिक हब से संबंधित परिसर इस प्रकार स्थित हो कि वहां पर आसान पहंच मार्ग हो, ट्रांसपोर्टिंग तथा लोडिंग–अनलोडिंग की पर्याप्त सुविधा हो।

7.6–वेयर हाउसिंग (गोदाम)/लॉजिस्टिक हब से सबंधित परिसर में एक बोर्ड अंकित होना चाहिए जिसमें वेयर हाउसिंग (गोदाम) की क्षमता, स्वीकृति प्राप्त शासकीय विभागों के नाम, क्लियरेंस व दिये गये रोजगार की जानकारी भी अंकित हो।

8. निवेशक के दायित्व –

8.1 इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा अंतिम आबंटित अनुदान की समाप्ति दिनांक के पश्चात् न्यूनतम 05 वर्षों तक इकाई को कार्यरत् रहना होगा।

8.2 अनुदान स्वीकृति के उपरांत 05 वर्षों तक इकाई को विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित संचालक उद्योग के पूर्वानुमति के पश्चात् ही किया जावेगा, परंतु मृत्यु या अन्य किसी वैधानिक प्रक्रिया में आवश्यक होने पर प्रकरणवार संचालक उद्योग के द्वारा समीक्षा की जाकर ही निर्णय लिया जायेगा।

9. वित्तीय अनुदान/छूट/रियायतें–

9.1 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क्षेत्र का प्रकार (परिशिष्ट-1 अनुसार)	निवेश 25 लाख रू. से 01 करोड़ रू. तक		निवेश 01 करोड़ रू. से 05 करोड़ रू. तक		निवेश 05 करोड़ रू. से 10 करोड़ रू. तक		निवेश रू. 10 करोड़ से अधिक	
	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि लाख रूपये में)
श्रेणी–अ	35	35	40	80	40	125	40	200
श्रेणी–ब	40	40	40	85	45	150	45	250
श्रेणी–स	40	45	40	90	50	175	50	300
श्रेणी–द	45	50	45	95	55	200	55	350

9.2 ब्याज अनुदान :–

क्षेत्र का प्रकार	निवेश 25 लाख रू. से 01 करोड़ रू. तक			निवेश 01 करोड़ रू. से 05 करोड़ रू. तक			निवेश 05 करोड़ रू. से 10 करोड़ रू. तक			निवेश रू. 10 करोड़ से अधिक		
	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिक तम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिक तम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि लाख रूपये में)	अवधि (वर्षो में)
श्रेणी–अ	50	10	05	50	20	05	50	25	05	50	40	08
श्रेणी–ब	50	15	06	50	25	06	50	30	06	55	45	09
श्रेणी–स	50	20	07	50	30	07	50	35	07	60	50	10
श्रेणी–द	50	25	08	50	35	08	50	40	08	60	55	11

9.3 विद्युत शुल्क से छूट :–

क्षेत्र का प्रकार (परिशिष्ट–1 अनुसार)	अनुदान की मात्रा
श्रेणी–अ	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट

9.4 स्टाम्प शुल्क से छूट :–

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी –

(अ) लॉजिस्टिक की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गई अधिकतम भूमि की मात्रा तक/लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 10 वर्ष की लीज पर।

(ब) ऋण अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

9.5 परिवहन वाहन अनुदान :–

कोल्ड स्टोरेज हेतु क्रय किये जाने वाले रेफिजरेटेड वाहन (न्यूनतम क्षमता 9 मिट्रिक टन) पर 50 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रूपये प्रति वाहन तथा लॉजिस्टिक इकाई द्वारा लॉजिस्टिक सेवाएं हेतु क्रय किये जाने वाले वाहन को 50 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख रू. प्रति वाहन का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

9.6 वाहन पंजीयन शुल्क एवं नेशनल परमिट शुल्क में छूट :–

9.6.1 ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 30 मिट्रिक टन से कम है, को पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत तथा नेशनल परमिट शुल्क में 100 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

9.6.2 ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 30 मिट्रिक टन से अधिक है, को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तथा नेशनल परमिट शुल्क में 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

9.7 निम्नानुसार व्यवस्थाएं उद्यम में स्थापित किये जाने पर नीति में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतों से 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान की जावेगी –

9.7.1 भारत सरकार द्वारा जारी वेयर हाउसिंग मानकों के अनुसार ई–हैण्डबुक व्यवस्था अंतर्गत पैलेटाईजेशन एवं रैकिंग।

9.7.2 लॉजिस्टिक्स में डिजीटिलाईजेशन को प्रोत्साहित करने हेतु सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डाक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफार्म की व्यवस्था किये जाने पर।

9.7.3 अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु पृथक से व्यवस्था किये जाने पर।

9.7.4 विद्युत की व्यवस्था नवीन/नवकरणीय स्त्रोत से किये जाने पर।

9.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/तृतीय लिंग/भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित उद्यमियों को अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अनुदान राशि से 10 प्रतिशत अधिक देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

10. राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात से संबंधित उत्पादों के पैकेजिंग केन्द्र को लॉजिस्टिक नीति में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायत प्रदान किया जावेगा। इस हेतु पैकेजिंग केन्द्र को निर्यात से संबंधित माल के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत पैकेजिंग सुविधा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

11. गैर वित्तीय अनुदान :–

11.1 राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों के अनुसार अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊंचाई प्रतिबंधों में छूट दी जायेगी, भवन की ऊंचाई 24 मीटर तक स्वीकार्य होगी।

11.2 वित्तीय प्रोत्साहन, ग्रेडिंग प्रणाली, रेटिंग और उत्कृष्टता प्रमाणीकरण के आधार पर उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों को पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।

12. सामान्य अनुदेश :–

अ– छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों का पालन अनिवार्य होगा।

ब– इस नीति के अंतर्गत दिये जा रहे अनुदान, छूट एवं रियायतों के संबंध में अन्य सभी सामान्य प्रशासनिक प्रावधान यथा आवेदन पत्र के प्रारूप, आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया, आवेदन के निराकरण संबंधी क्षेत्राधिकार तथा अन्य सामान्य नियम व शर्तें औद्योगिक नीति

2019–24 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतों के लिए जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी। किसी बिन्दु विशेष पर यथा आवश्यकता संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी किया जा सकेगा।

13– इस नीति के संबंध में व्याख्या एवं विवाद की किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग